न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>दांडिक प्रकरण क0-206/16</u> <u>संस्थापित दि0 09/05/2016</u> फाईलिंगन.233504000842016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----अभियोजन.

-: विरूद्ध :-

- नरेन्द्र उर्फ टिम्मन पिता झनकलाल, उम्र 24 वर्ष, जाति मेहरा, पेशा कृषि, नि0ग्राम जैतपुर,
- बबलू पिता भूता हारोंड़े, उम्र 44 वर्ष, जाति किराड़, पेशा कृषि, नि0ग्राम जीराढाना,
- राकेश बेले पिता गोर्वधन बेले, उम्र मजदूरी, जाति मेहरा, पेशा मजदूरी, नि0ग्राम हसलपुर, सभी:—थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

<u>----अभियुक्तगण</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक— 21/11/2016 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324/34 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 09/04/16 समय 08:00 बजे रात्रि के करीब या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने आम रास्ता जैतपुर, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी दीपक को धारदार कुल्हाड़ी की मुधाल से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02— दिनांक 21/11/16 को फरियादी दीपक तथा अभियुक्तगण नरेन्द्र उर्फ टिम्मन, बबलू, राकेश को राजीनामा होने से धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग–2 में दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10/04/16 के रात्रि करीब 8 बजे की बात है। वह उसके घर पर उसके पापा रूपलाल मम्मी मालतीबाई के साथ में खाना खा रहा था कि उसके बड़े पापा का लड़का टिम्मन उसके साथी बबलू, तथा राकेश मेहरा के साथ घर के सामने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और मॉ बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देकर बोला मादर चोद तुने उसकी मेड़ बखर ली है, जो सुनने में बुरी

लगी उसने गालियाँ देने से मना किया तो टिम्मन ने उसके हाथ में रखी कुल्हाडी की मुदाल उसे मारी जो बीच बचाव में उसके दांहिने हाथ की कलाई में लगी उसके बाद उसके साथ आए उसके साथी बबलू, राजेश ने भी मुक्का थप्पड़ से तथा टिम्मन ने कुल्हाडी के बेसे से मारपीट किया जो उसके दोनों जांघ पिंडली एवं बांये पैर के टखने में चोट आई, मारपीट करते दोनों बोले मादर चोद तूने थाने में रिपोर्ट की तो जान से खतम कर देगें, झगड़े का बीच बचाव उसकी मौसी कांताबाई माँ मालतीबाई पिता रूपलाल ने किया व देखा है।

04— प्रथम सुचना रिर्पोट प्र0पी0—1 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 174/16 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि० की धारा 294,323,324,34,506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 10/04/16 को घटना का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहां कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06- न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

"आपने दिनांक 09/04/16 समय 08:00 बजे रात्रि के करीब या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने आम रास्ता जैतपुर, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी दीपक को धारदार कुल्हाड़ी की मुधाल से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की?"

<u>—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—</u>

<u>—ः विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण</u>

07— अभियोजन साक्षी दीपक (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह ध ाटना के समय वह घर पर खाना खा रहा था तभी आरोपीगण नरेन्द्र, बबलू एवं राकेश उसके घर के सामने आये और उसे मॉ बहन की गंदी—गंदी गालियॉ देने लगे उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने एक राय होकर हाथ मुक्कों से मारपीट की थी जिससे उसे चोट आई थी। आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी जो प्र0पी0 1 जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरा डॉक्टरी मुलाहिजा करवाई थी। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 10/04/16 को आरोपीगण ने उसके साथ धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट किया था जिससे उसे जांघ एवं पिंडली तथा टकने में चोट आकर खून निकला था। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 2 का ए से ए भाग लेख कराया था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका बिना किसी डर दबाव के राजीनामा हो गया है।

- 08— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका गाली गलौच और विवाद हुआ। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह स्वयं की गलती से गिर गया था जिसकी वजह से उसे चोट आई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसका बिना किसी उर दबाव के उसकी सहमति से राजीनामा हो गया है। आरोपीगण से उसके मधुर संबंध हो चुके है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने फरियादी दीपक को धारदार कुल्हाड़ी की मुधाल से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भाठदंठिक की धारा 324/34 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।
- 09— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी दीपक को धारदार कुल्हाड़ी की मुधाल से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।
- 10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी दीपक को धारदार कुल्हाड़ी की मुधाल से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ टिम्मन, बबलू, राकेश को भा0द0वि0 की धारा—324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11— अभियुक्तगण को धारा—313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 12— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं। निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र०

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0